UPGK010109312021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–2 ,विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), गोरखपुर।

उपस्थित– चन्द्र मणि मिश्र (एच.जे.एस.),जे0ओ0 कोड–यू0पी06250

सत्र परीक्षण संख्या–2534/2021

उत्तर प्रदेश राज्य ---------------अभियोजन

-----प्रति-----

1– कमलेश यादव पुत्र राजेन्द्र यादव,

2– दवन यादव पुत्र चन्द्रभान यादव,

3– राजेन्द्र यादव पुत्र हीरालाल यादव,

निवासीगण थुन्ही बाजार, झंगहा गोरखपुर उ0प्र0।

---------------अभियुक्तगण,

अपराध संख्या–540/2018

अन्तर्गत धारा–307 भा0द0संहिता, 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व

11 पशु क्रूरता अधिनियम,1960

थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर।

घटना की तिथिः–	दिनांक 26.06.2018
प्राथमिकी पंजीकृत कराने की तिथिः–	दिनांक 27.06.2018
आरोपपत्र प्रस्तुत करने की तिथिः–	दिनांक 05.08.2018
आरोपपत्र संज्ञान लेने की तिथिः–	दिनांक 21.06.2021
प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने की तिथिः–	दिनांक 11.11.2021
आरोप विरचित करने की तिथिः–	दिनांक 23.12.2021

निर्णय

01. अभियुक्तगण कमलेश यादव, दवन यादव व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध थाना खोराबार,जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा अपराध संख्या–540/2018, धारा 307 भा0द0संहिता, 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम,1960 के अपराध के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गोरखपुर के न्यायालय में विचारणार्थ प्रेषित किया गया, जिस पर तत्कालीन न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण कमलेश यादव, दवन यादव व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध आरोप पत्र तीनों अभियुक्तों द्वारा अंतर्गत धारा 307 भा0द0संहिता, 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम,1960 के अन्तर्गत कथित अपराध कारित

किया जाना पाते हुए उक्त अपराध का संज्ञान लिया गया। अभिकथित अपराध के संज्ञान लिये जाने के पश्चात प्रकरण अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण पत्रावली अभियुक्तगण के विचारण हेतु दिनांक 11.11.2021 को सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी एवं तदुपरान्त पत्रावली अभियुक्तगण के विचारण हेतु अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

02. संक्षेप में उ0नि0 अजीत प्रताप सिंह की तहरीर/फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 के अनुसार इस प्रकार है कि ''दिनांक 26.06.2018 को उ0नि0 अजीत प्रताप सिंह मय हमराहीगण के मुताबिक आदेश उच्चाधिकारीगण देख भाल क्षेत्र रात्रिग्रस्त चेकिंग सराय ढाबा व तलाश वांछित व वारंटी में मामूर था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक ट्रक वाहन संख्या यूपी 53 सीटी 6550 से एनएच 28 से रामनगर करजहा होते हुए कुछ पशु तस्कर गोवंशीय पशुओं को लाद कर बिहार वध करने हेतु ले जायेंगे, जिसमें आपके थाने से सम्बन्धित 15000 रू0 का ईनामियां अभियुक्त भी शामिल है, जो इस तरह का अपराध करके पहले भी आपके थाने से जेल जा चुका है अगर आप लोग गाडा बन्दी करे तो पकड़े जा सकते है इस सूचना पर विश्वास करके आपस में विचार विमर्श कर मय हमराहियान मय मुखबीर बताये हुए स्थान रामनगर करजहा फोरलेन बाईपास पर पहुंच कर अपनी–अपनी गाडियों को एक किनारे खड़ी कर आने वाले ट्रक का इन्तजार करने लगे कि कुछ समय पश्चात एक ट्रक आती हुई दिखायी दी, जिसे मुखबीर द्वारा दूर से सड़क के स्ट्रीट लाईट की रोशनी में पहचान कर इशारा करके हट जाने के पश्चात उक्त ट्रक के नजदीक आने पर घेरा बन्दी कर हाथ के इशारे व टार्च की रोशनी से रोकने का प्रयास किया गया कि ट्रक में बैठे चालक व अन्य व्यक्तियों द्वारा ललकारते हुए कि मार दो सालों को हम पुलिस वालो के ऊपर जान मारने की नियत से गाड़ी की रफ्तार तेज कर हम पुलिस वालो के ऊपर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किये यदि हम पुलिस वाले तत्परता से अगल बगल नहीं हटते तो हम पुलिस वालो की जान चली जाती पुनः भागने वाली ट्रक का हिकमत अमली से पीछा किया गया तो लगभग 100 मीटर आगे करजहां ओबर ब्रिज पुल के पास नहर पुलिया पर रास्ता संकरा होने के कारण सामने से आती हुई गाड़ी के कारण ट्रक चालक अपने ट्रक को रोक दिया तथा उसमें बैठे व्यक्ति भागने का प्रयास किये कि दौड़ा कर घेर कर हमराही कर्मचारीगण की मदद से ट्रक से उतरकर भागने वाले तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता व भागने का कारण पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम कमलेश यादव पुत्र राजेन्द यादव निवासी ग्राम थुन्ही थाना झगहा जिला गोरखपुर तथा दूसरे ने अपना नाम दवन यादव पुत्र चन्दभान यादव निवासी ग्राम थुन्ही थाना झंगहा जिला गोरखपुर तीसरे ने अपना नाम रविन्द्र यादव पुत्र हीरालाल यादव निवासी ग्राम थुन्ही थाना झगहा जिला गोरखपुर बताये भागने का कारण पूछा गया तो कमलेश उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं ट्रक का चालक हूँ तथा ये दोनों मेरे सहयोगी है हम तीनों लोग गाय व बछड़ो का व्यापार करते हैं जिनको अलग अलग लोगों से खरीद कर इकट्ठा करते हैं और जब गाड़ी भर का माल हो जाता है तो ट्रक में लाद कर बिहार ले जाकर बेच देते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है पैसे के लालच में हम लोग यह काम करते हैं पकड़े जाने के डर से हम

लोग भाग रहे थे हम लोगों की किस्मत खराब थी कि हम लोग पकड़ लिये गये तत्पश्चात हमराही कर्मचारीगण को गाड़ी में चढ़ाकर टार्च की रोशनी से दिखवाया गया तो गाय व बछड़ों के मुँह व पैर प्लास्टिक के रस्सी से बंधे है तथा सभी गायों की गर्दन रस्सी से कस कर ट्रक में बधा हुआ है, जिससे गौवंशीय पशुओं की स्थिति काफी खराब हो गयी है रस्सी से निर्दयता पूर्वक बधे हुये जानवर बुरी तरीके से हाफ रहे है तथा उनके मुह से झाग निकल रहा है ट्रक पर लदे गौवंशीय पशुओ के सम्बन्ध में व ट्रक का कागजात मांगा गया तो नहीं दिखा सके तथा कड़ाई से पूछने पर बताये कि साहब इन गायों का कोई कागज नहीं है हम लोग इसे बिहार ले जाकर कसाईयों को काटने हेतु बेच देते है जिससे हम लोगो को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है तथा बार बार अपनी गलती की माफी मांगने लगे पकड़ें गये व्यक्तियों व हमराही कर्मचारीगण की मदद से ट्रकों में बधे गोवंशीय पशुओं को बन्धन मुक्त किया गया तत्पश्चात गाड़ी को उचित स्थान पर लगाकर बारी–बारी से पशुओं को उतारा गया तथा टार्च की रोशनी में देखा गया, जिनका हुलिया गाय निम्नवत है 1. गाय जर्सी रंग काला उँचाई लगभग 4 फीट सींग टूठ अगला दोनों खूर काला पिछला दोनों खुर सफेद पूछ काला सफेद 2. गाय फिजिशियन रंग काला सफेद चितकबरा सींग टूठ खुर सफेद काला पूंछ सफेद उँचाई लगभग 3.5 फीट 3. गाय जर्नी रंग लाल उँचाई लगभग 3.5 फीट सींग टूठ खुर काला पूछ काला 4. गाय जर्शी रंग लाल उँचाई लगभग 3.5 फीट खुर पूंछ काला सींग टूठ 5. गाय फिजिशियन उँचाई लगभग 4.5 फीट रंग काला खुर पूछ काला सींग टूठ 6. गाय जीं रंग सफेद उचाई लगभग 3.5 फीट खुर काला पूछ काला सींग ठूठ 7. गाय फिजिशियन रंग काला सफेद माये पर सफेद टीका उँचाई लगभग 4.5 फीट खुर पूछ सफेद सींग ठूंठ 8. गाय जशी रंग काला माथे पर सफेद टीका उँचाई लगभग 4 फीट दूर पूछ काला सींग ठूंठ 9. गाय जर्शी रंग काला खुर पूंछ काला उँचाई लगभग 4 फीट सीग लगभग 4 इच अर्थ चन्द्राकार 10. गाय फिजिशियन उँचाई लगभग 4 फीट रंग काला सफेद खुर सफेद पूछ काला सफेद सींग ठूंठ 11. गाय शाहीवाल रंग लाल उचाई लगभग 4 फीट सींग लगभग 2 इंच खुर पूछ काला 12. गाय जर्शी रंग सोकन उँचाई लगभग 4 फीट खुर पूछ काला सींग ठूठ 13. गाय जर्शी रंग काला ऊँचाई लगभग 4 फीट खुर पूंछ काला सींग टूठ 14. गाय जर्शी रंग भूरा ऊँचाई लगभग 4 फीट खुर काला पूछ भूरा काला सींग ठूंठ। हुलिया नवजात बछिया /बछडा 1. बछिया रंग सफेद भूरा ऊँचाई लगभग 2 फीट 2. बछड़ा रंग भूरा सफेद ऊँचाई लगभग 2 फीट 3. बाछिया रंग काला ऊँचाई लगभग 2 फीट 4. बछडा रंग काला सफेद चितकबरा ऊँचाई लगभग 2.5 फीट 5. बछिया रंग भूरा सफेद उचाई लगभग 2 फीट है तत्पश्चात पकड़े गये अभियुक्तो को उनके अपराध अन्तर्गत धारा 307 भादवि व 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु कुरता अधिनियम का बोध कराते हुए समय लगभग 12.45 रात्रि बजे हिरासत पुलिस में एंव बरामद शुदा पशुओ को कब्जा पुलिस में लिया गया तत्पश्चात चालक की व्यवस्था कर सुविधा अनुसार बरामद शुदा गोवशीय पशुओ को उसी वाहन में लदवाया जा रहा है फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के समय मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो एव निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया गिरफ्तारी की सूचना

जरिये उचित माध्यम अभियुकगण के परिजनो को दी जायेगी गिरफ्तारी व बरामदगी नायक होने के कारण जनता का कोई भी गवाहान नहीं लिया जा सका फर्द मौके पर टार्च की प्रयाप्त रोशनी में उ०नि० यूटी दीपक कुमार सिंह से बोल बोल कर लिखवाकर पढ़ाकर सुनाकर सभी सम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे है तथा उक्त ट्रक का कागजात न होने के कारण अलग से धारा एमवी एक्ट के तहत रिपोर्ट दी जायेगी। ''

03. वादी मुकदमा उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 26.06.2018 को घटित घटना की लिखित तहरीर दिनांक 26.06.2018 को थाना खोराबार,जनपद गोरखपुर में दी गयी, जिसके आधार पर दिनांक 27.06.2018 को ही समय 12.53 बजे थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर में चिक प्र0सू0रिपोर्ट अपराध संख्या–540/2018 पर धारा–307 भा0द0संहिता, 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम,1960 के अपराध के अन्तर्गत अभियुक्तगण कमलेश यादव, दवन यादव व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध प्रदर्श क–2 पंजीकृत हुआ जिसकी प्रविष्टि सामान्य डायरी में उसी तिथि को अंकित की गयी।

04. इस आपराधिक प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेन्द्र राम के द्वारा ग्रहण की गयी, चूंकि सुरेन्द्र राम के कार्य सरकारी में व्यस्त होने के कारण प्रभारी निरीक्षक के आदेश से उ0नि0 जयंती प्रसाद शर्मा द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी। विवेचना के क्रम में उन्होंने नकल चिक, नकल रिपोर्ट, तथा वादी मुकदमा का बयान लेखबद्ध कर वादी के साथ घटनास्थल पर पहुँचकर निरीक्षण घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श क–5 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा घटना के अन्य साक्षियों का कथन लेखबद्ध किया तथा विवेचना सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही करने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307 भा0द0संहिता, 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम,1960 के अपराध के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रदर्श क–4 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

05. दिनांक 23.12.2021 को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण कमलेश यादव, दवन यादव व राजेन्द्र यादव के विरूद्ध धारा– 307 भा0द0संहिता, 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम,1960 के अपराध के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोप को पढ़कर, सुनकर और समझकर अपराध से इंकार करते हुए विचारण की मांग किया।

06. वर्तमान मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को न्यायालय में प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया गया है,जिनका विवरण निम्नवत है:–

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी0डब्लू0 1	उ0नि0 अजीत प्रताप सिंह	वादी मुकदमा
पी0डब्लू0 2	रमेश प्रताप पाण्डेय	हेड कांस्टेबल

पी0डब्लू0 3	सुरेन्दराम	सेवानिवृत्त उ0नि0

07. अभियोजन पक्ष की तरफ से पत्रावली पर प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नवत साक्ष्य प्रस्तुत कर साक्षियों द्वारा साबित कराया गयाः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	साक्षी संख्या	विवरण
1	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1	तहरीर
2	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–2	चिक प्र0सू0रिपोर्ट
3	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–2	जीडी 03 दिनांकित 27–06–2018 समय 03–11 बजे की द्वितीय प्रति
4	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–3	आरोप पत्र
5	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–3	नक्शानजरी

08. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में कथन किया है कि प्र0सू0रिपोर्ट गलत है। सभी साक्षी द्वारा गलत बयान दिए हैं और गलत आरोप पत्र प्रेषित किए। अभियुक्तगण द्वारा कहा गया कि उनके विरूद्ध मुकदमा रंजिश व गलतफहमी के आधार पर चला। उन्होंने सफाई साक्ष्य दिया है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य के रूप में बतौर डी0डब्लू0–01 राजनाथ यादव न्यायालय में परीक्षित कराया। अभियुक्तगण द्वारा कोई भी प्रलेखीय या दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

09. मैंने उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक, तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,दाण्डिक के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ट्रक वाहन संख्या–UP 53 CT 6550 में गोवंशीय गाय व बछड़ो के मुंह व पैर में प्लास्टिक के रस्सी से बांधकर वध करने हेतु बिहार ले जा रहे थे तथा पुलिस कर्मचारीगण द्वारा उन्हें टॉर्च आदि की रोशनी दिखाकर रोकने का इशारा किया तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस कर्मचारीगण को जान से मारने की नियत से ट्रक की रफ्तार तेज कर पुलिस वालों पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे किसी तरफ पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। अतएव सभी अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये।

11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष एवं निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर अभियुक्तगण को प्रश्नगत मामले में मिथ्यारोपित किया गया है। अभियोजन द्वारा धारा–307 भा0दं0सं0 के उपबन्धों को साबित नहीं किया

गया है, न ही किसी भी पुलिस अथवा अन्य व्यक्ति को चोटें आयी हैं। साक्षीगण के बयानों में तथ्यात्मक विरोधाभास है। इस प्रकार अभियोजन कथानक एवं साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप सन्देह से परे साबित नहीं होता है ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

अभियोजन साक्ष्य

12. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू01 उ0नि0 अजीत प्रताप सिंह, वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि घटना के दिन थाना खोराबार में बतौर उ0नि0 के पद पर तैनात था घटना दिनांक 26.06.2018 को मैं यूनिट उपनिरीक्षक दीपक कुमार सिंह व हमराहीयान हे0कां0 मनोज कुमार सिंह, कां0 राममोहन दूबे, कां0 रामबहादुर दूबे और कां0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह के देखभाल क्षेत्र वाहन चेकिंग में मामूर था कि जरिए मुखबिर सूचना मिली की थाना पंद्रह हजार रूपया इनामिया कमलेश यादव गोवंशीय पशुओं को और तारिक से परिवहन कर के उनके हत्या(वध) के लिए ले जा रहा है। उस सूचना पर मैं उ0नि0 मय हमराहीयान व मुखबिर के रामनगर कडजहाँ ओवर ब्रिज के पास जाने वाले ट्रक का इन्तजार करने लगे। कुछ समय के बाद गीड़ा की तरफ से ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसे मुखबिर ने बताया कि उक्त ट्रक में ही गोवंशीय पशु हैं, जिसे हम पुलिस वालों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रक ड्राइवर व ट्रक में बैठे अन्य व्यक्तियों द्वारा चिलाते हुए कहा गया कि मार दो पुलिस वालों को व जान मारने की नियत से हम पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। किसी तरह से अपने आप को हम लोग अपने को बचते हुए गाड़ी का पीछा किए कि कड़जहॉ पुलिया संकरा होने के कारण सामने से आती हुई गाड़ी की वजह से ट्राक ड्राइवर द्वारा मौके पर ट्राक को खड़ी कर के आगे बैठे हुए ड्राइवर सहित अन्य लोग भागने लगे की उन्हें हिम्मती होसलों से पकड़ लिया पकड़ जाने पर भागने के कारण पूछने पर बताए कि हम लोग उक्त ट्रक में गौवंशीय पशु को लादकर ले जा रहे हैं और इन्हें हम बिहार में ले जाकर बध हेतु अच्छे दामों पर बेचते हैं, जिसके उपरांत ट्रक को सड़क के किनारे लगवाकर ट्रेक के डाले को खुलवाकर देखा गया तो उसमें चौदह अलग–अलग नश्ल की गाय व पाँच अदद नवजात बछड़े व बछियां, जिनके हाथ, मुँह, नथी, जो प्लास्टिक का या उससे बाँधा गया था, जिनको मौके पर खुलवाया गया तो गोवंशीय पशु उस कदर हाँफ रहे थे। पकड़े गए कमलेश यादव व पवन यादव व वजेन्द्र यादव निवासीगण घिनी ग्राम झंगहा जनपद गोरखपुर को द्वारा लगभग 12.45 उनके जुर्म को बताते हुए हिरासत पुलिस ने बरामदशुदा गोवंशीय पशुओं व ट्रक को नियमानुसार कब्जा पुलिस ने लिया फर्द मौके पर पर्याप्त रोशनी लिखकर, पढ़कर सभी मुल्जिमों का हस्ताक्ष बनवाया। फर्द की एक–एक प्रति अभियुक्तों को प्राप्त कराया गया, जो ट्रक मौके पर कब्जा में लिया गया वह वाहन सं0–यू0पी0 53 सी0टी0 6550 है। सभी बातें फर्द में अंकित फर्द उ0 से प्र0 सी0 दीपक कुमार सिंह ने बोल–बोलकर लिखवाया गया लिखवाने के बाद पढ़कर उस पर अपना हस्ताक्षर बनया, जिसे साक्षी ने देखकर तस्दीक किया, जिस पर

प्रदर्श क–01 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया। विवेचक को मैंने मौका मुआयना घटना स्थल दिखाया।

13. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू02 हे0कां0 रमेश प्रताप पाण्डेय ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 27.06.2018 को मैं थाना खोराबार में कां0 मु0 के पद पर नियुक्त था। उक्त तिथि को थाना खोराबार के उपनिरीक्षक अजीत प्रताप सिंह द्वारा दी गयी फर्द बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0–540/2018 समय 12.53 बजे विरूद्ध अभियुक्तगण कमलेश यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, दवन यादव पुत्र हीरालाल यादव निवीसीगण मुन्डी थाना झंगहा जिला गोरखपुर थाना 307भा0दं0सं0 व धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोलकर टाइप कराया था। एफ0आई0आर0 के पीछे थाना प्रभारी के सूक्ष्म हस्ताक्षर कराकर थाने की मोहर लगाया था। चिक एफ0आई0आर0 कागज सं0–4क/1 ता 4क/2 है, जिस मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। उस मुकदमे की कायमी रपट नं0–03 दिनांक 27.06.2018 3.11 बजे मेरे द्वारा बोलकर कम्प्यूटर ऑपरेटर से करायी गयी। कायमी जी0डी0 की प्रति शामिल पत्रावली कागज सं0–8क/03 है, जिस पर मेरा सुक्ष्म हस्ताक्षर व थाने की मोहर लगी है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–03 डाला गया। उपनिरीक्षक अजीत प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी के पृष्ठ 03 पर नीचे मु0अ0सं0–546/2018 धारा 367 भा0दं0सं0 व 3/5A गोवध निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना खोराबार पंजीकृत किया गया लिखकर दिनांक सहित अपना सुक्ष्म हस्ताक्षर बनाकर थाने की मोहर लगाया हूँ, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर पहले से प्रदर्श क–01 डाला गया है। घटना का दिनांक 27.06.2018 समय 00.45 को अंकित है। रपट का दिनांक व समय प्रदर्श क–02 से 27.06.2018 समय 12.53 बजे लिखा हुआ है। प्रदर्श क–02 पर, जो लिखा है वह सही लिखा है। रोजनामचा से तहरीर का दिनांक व समय 27.06.2018 समय 3.11 लिखा है, जो सही लिखा है। जी0डी0 का समय सही है, जो मेरे द्वारा 27.06.2018 3.11 मिनट लिखा है, वह सत्य है। प्रदर्श क–02 है, जो दिनांक 27.06.2018 12.53 बजे लिखा है। वह सही लिखा है या गलत मैं नहीं बता सकता। वह कम्प्यूटर ऑपरेटन ही सही बता सकते हैं। एफ0आई0आर0 मैंने बोलकर ही लिखवाया है या जी0डी0 नम्बर 03 प्रदर्श क–03 से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाने पर लाने की बात अंकित है। प्रथम सूचना पत्र जी0डी0 नंबर 03 में ही अंकित है। प्रदर्श क–03, जो मैंने सत्यापित किया है, उसको कम्प्यूटर में मैं बोलकर पहले लिखाया उसके बाद मैंने एफ0आई0आर0 लिखवाया। प्रदर्श क–03 पहले लिखा गया। प्रदर्श क–02, जो एफ0आई0आर0 है। उसे बाद में लिखा गया 10 मिनट बाद लिका गया, लेकिन मेरे यहाँ जी0डी0 नंम्बर प्रथम सूचना रिपोर्ट व गिरफ्तारी एक ही समय एक ही जी0डी0 में दिखाया जाता है। यह कहना गलत है कि जी0डी0 व प्रथम सूचना रिपोर्ट बारी–बारी से लिखा जाना चाहिए। मैं नशापानी नहीं करता हूँ। एफ0आई0आर0 में पिता में राजेन्द्र यादव के स्थान पर रविन्द्र यादव का नाम टाइपिंग मिस्टेक वश हो गया है, फर्द पर

राजेन्द्र यादव की अभियुक्त के रूप में हस्ताक्षर नही है, बल्कि रविन्दर के नाम की हस्ताक्षर है, गिरफ्तारी प्रपत्र में रविन्द्र यादव पुत्र हीरालाल यादव लिखा हुआ है। अभियुक्त कमलेश यादव के पिता का नाम राजेन्द्र यादव लिखा हुआ है। प्रदर्श क–02 के अंत में मुल्जिमान के हस्ताक्षर जहाँ कराया गया है, उसमें राजेन्द्र का नाम का हस्ताक्ष है। मैं 2019 तक खोराबार थाने पर तैनात था। आरोप पत्र में अभियुक्त राजेन्द्र यादव लिखा है। इसमें किसी पुलिस वाले को चोट नहीं लगी थी और न ही मैंने कोई मजरूबी चिट्ठी ही बताया था। मैं फर्द प्रदर्श क–01 पढ़ा था। उसमें कोई जनता का साक्षी नहीं बताया था। मैंने तहरीर के आधार पर एफ0आई0आर0 की कोई प्रति वादी को नहीं दिया। जब मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अब लिखाया तो मुल्जिमान के नाम में अंतर नहीं समान पाया। मैंने रपट लिखने के बाद बरामद पशुओं गाय, बछड़ा को अपनी आँखों से देखा था, जब ट्रक थाने पर आयी थी, तब मैं गाय, बछड़ो को देखा था। उनका व्यवस्था कब व कहाँ है मैं नहीं बता सकता। वह 05 नहीं बताएँगे। मैं प्रभारी निरीक्षक के कहने पर मैंने विवेचक नियुक्त किया था। मेरा बयान उसी दिन अंकित किया गया। मैं अपने बयान में रविन्द्र को मुल्जिम होना बताया था। जब कि तहरीर में रविन्दर का नाम नहीं लिका है। यह कहना सही है कि मैं अपने बयन में रविन्द्र को अभियुक्त के रूप में नाम नहीं बताया, परंतु न्यायालय में गलती से रविन्दर को अभियुक्त के रूप में नाम बता दिया है, बल्कि राजेन्द्र को ही अभियुक्त के रूप में नाम बताया ता। मुल्जिम के ऊपर शासन द्वारा 15000रू0 का इनाम था। ऐसा कोई प्रपत्र या शासनादेश मुझे नहीं मिला था न मैंने देखा था। यह कहना गलत है कि 27.06.2018 समय 12.53 व 27.06.2018, 00.45 बजे लिखा है यह गलत लिखा हुआ है। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष ट्रक पशु नहीं आए थे वादी मुकदमा के कहने पर गलत मुकदमा थाना पर अंकित कर दिया। उसके बाद थाने पर तहरीर तैयार करके थाने पर रपट लिखा गया। यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ। मैं नहीं बता सकता कि वादी मुकदमा से विवेचक से सिनियर हैं या जूनिय हैं। मैं नहीं बता सकता कि वादी मुकदमा की ड्यूटी मेरे द्वारा लगायी गयी थी या नहीं लगयी गयी थी। यह घटना 27.06.2018 की ही लिखी है। उसी तारीख की घटना है। समय 00.45 AM की है।

14. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू03 सुरेन्दराम ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 28.06.2018 को पर्चा नं0–02 किता किया गया, जिससे अवलोकन पूर्व किता किया पर्चा व बयान लेखक एफ0आई0आर0 व अवलोकन सुपूर्दगीनामा अंकित किया गया। दिनांक 29.06.2018 को पर्चा नं0–03 किता किया, जिसमें बयान वादी, व निरीक्षण घटना स्थल अंकित किया गया। दिनांक 12.07.2018 को पर्चा नं0–04 किता किया, जिसमें अभियुक्तगण के जमानत के संबंध में पर्चा किता किया। दिनांक 26.07.2018 को पर्चा नं0–05 किता किया, जिसमें बयान गवाह फर्द एस0आई0 दीपक कुमार सिंह व गवाह फर्द हेड कां0– मनोज सिंह एवं गवाह फर्द कां0 राममोहन दूबे व गवाह फर्द रामबहादुर यादव का किता किया गया। दिनांक 05.08.2018 को पर्चा नं0–06 किता किया गया है, जिसमें बयान गवाह फर्द कां0 भूपेन्द्र यादव का अंकित किया गया है। मुकदमा उपरोक्त

में अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र राजेन्द्र यादव , दवन यादव पुत्र चन्द्रभान यादव व रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 हीरालाल के विरूद्ध जुर्म धारा 307 भा0दं0सं0 व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 एवं धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 का बयान साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र सं0–388/2018 दिनांक 05.08.2018 को न्यायालय प्रेषित किया गया, जो पत्रावली में कागज सं0–3क/1 से 3क/4 शामिल है, जो कम्प्यूटन द्वारा बोलने पर टाइप किया, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। मैं हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–04 अंकित किया गया। मेरे द्वारा नक्शानजरी तैयार किया गया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मैं अपने हस्ताक्षर की पहचनान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–05 डाला गया, जो कागज सं0–06क/01 है।

15. बचाव पक्ष की तरफ से परिक्षीत साक्षी डी0डब्लू0–01 राजनाथ यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.06.2018 को जानकारी हुआ कि मेरे गाँव के कमलेश पुत्र राजेन्द्र यादव और रविनद्र यादव पुत्र हीरालाल यादव, दवन यादव पुत्र चन्द्रभान यादव को पुलिस रात में पकड़कर थाना खोराबार में निरूद्ध किया है। गाँव के होने के नाते मैं उपरोक्त तीनों लोगों से मिलने ताना खोराबार पर दिनांक 27.06.2018 को समय लगभग 10 बजे गया तो थाने पर पुलिस के दरोगा ने मुझसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया। जानकारी हुआ कि पुलिस मुझे 14 अदद गोवंशी पशु व 05 अदद बछिया मुझे सुपुर्दगी में देने की बात कहा है, जो गलत है। मुझे कोई गाय व बछिया सुपुर्द नहीं किया गया था। मेरा गाँव थाना खोराबार से 40 किमी0 दूर कछार एरिया में है। गवाह को उसके पत्रावली में शामिल कागज सं0–09क/7 पर बने उसके दस्तखत है। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जो हस्ताक्षर मेरा सादे कागज पर कराया गया था, वही कागज हस्ताक्षर है।

16. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

17. इस सत्र परीक्षण में मेरे समक्ष निर्धारण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि–''क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त उपरोक्त नामांकित के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्ति संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?''

18. वादी मुकदमा उ0नि0 अजीत प्रताप सिंह मय हमराहियान दिनांक 26.06.2018 को रात्रिग्रस्त चेकिंग सराय ढाबा व तलाश वांछित व वारंटी में मामूर थे उन्हें जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक ट्रक वाहन संख्या यूपी 53 सीटी 6550 से एनएच 28 से रामनगर करजहा होते हुए कुछ पशु तस्कर गोवंशीय पशुओं को लाद कर बिहार वध करने हेतु ले जायेंगे, जिसमें आपके थाने से सम्बन्धित 15000 रू0 का ईनामियां अभियुक्त भी शामिल है।

19. मुखबिर की उपरोक्त सूचना पर मौके पर पहुंच कर घेरा बन्दी किये तथा हाथ के इशारे व टार्च की रोशनी से रोकने का प्रयास किया गया कि ट्रक में बैठे चालक व अन्य व्यक्तियों द्वारा ललकारते हुए कि मार दो सालों को हम पुलिस वालो के ऊपर जान मारने की नियत से गाड़ी की रफ्तार तेज कर हम पुलिस वालो के ऊपर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किये। करजहां ओबर

ब्रिज पुल के पास नहर पुलिया पर रास्ता सकरा होने के कारण सामने से आती हुई गाड़ी के कारण ट्रक चालक अपने ट्रक को रोक दिया तथा उसमे बैठे व्यक्ति भागने का प्रयास किये कि दौड़ा कर घेर कर हमराही कर्मचारीगण की मदद से ट्रक से उतरकर भागने वाले तीनो व्यक्तियो को पकड़ लिया गया। जिनमें कमलेश यादव, दवन यादव, रविन्द्र यादव थे जिनके द्वारा स्वयं अपना नाम बतलाया गया तथा वादी को यह भी बताया कि हम तीनो लोग गाय व बछड़ो का व्यापार करते है। ट्रक में लादे गये पशु गाय व बछड़ों के मुह व पैर प्लास्टिक के रस्सी से बधे है तथा सभी गायो की गर्दन रस्सी से कस कर ट्रक में बधे हुए थे।

ट्रक में पशु का विवरण निम्नवत है––

1– गाय जर्सी रंग काला उचाई लगभग 4 फीट सींग टूठ अगला दोनो खूर काला पिछला दोनो खुर सफेद पूछ काला सफेद

2. गाय फिजिशियन रंग काला सफेद चितकबरा सींग टूठ बुर सफेद काला पूछ सफेद उचाई लगभग 3.5 फीट

3. गाय जर्नी रंग लाल उचाई लगभग 3.5 फीट सींग टूठ खुर काला पूछ काला

4. गाय जर्शी रंग लाल उचाई लगभग 3.5 फीट खुर पूछ काला सींग टूठ

5. गाय फिजिशियन उचाई लगभग 4.5 फीट रंग काला खूर पूछ काला सींग टूठ

6. गाय जीं रंग सफेद उचाई लगभग 3.5 फीट खुर काला पूछ काला सींग ठूठ

7. गाय फिजिशियन रंग काला सफेद माये पर सफेद टीका उचाई लगभग 4.5 फीट खुर पूछ सफेद सींग ठूंठ

8. गाय जशी रंग काला माथे पर सफेद टीका उचाई लगभग 4 फीट दूर पूछ काला सींग ठूंठ

9. गाय जर्शी रंग काला खूर पूछ काला उचाई लगभग 4 फीट सीग लगभग 4 इच अर्थ चन्द्राकार

10. गाय फिजिशियन उचाई लगभग 4 फीट रंग काला सफेद खुर सफेद पूछ काला सफेद सींग ठूंठ

11. गाय शाहीवाल रंग लाल उचाई लगभग 4 फीट सींग लगभग 2 इंच खुर पूछ काला

12. गाय जीं रंग सोकन उचाई लगभग 4 फीट खुर पूछ काला सींग ठूठ

13. गाय जर्शी रंग काला उचाई लगभग 4 फीट खुर पूछ काला सींग टूठ

14. गाय जर्शी रंग भूरा उचाई लगभग 4 फीट खुर काला पूछ भूरा काला सींग ठूंठ।

हुलिया नवजात बछिया/बछडा

1. बाछी रंग सफेद भूरा उचाई लगभग 2 फीट

2. बाछा रंग भूरा सफेद उचाई लगभग 2 फीट

3. बाछिया रंग काला उचाई लगभग 2 फीट

4. बछडा रंग काला सफेद चितकबरा ऊचाई लगभग 2.5 फीट

5. बछिया रंग भूरा सफेद उचाई लगभग 2 फीट है।

वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में तहरीर/फर्द प्रस्तुत किया जिस पर मुकदमा कायम हुआ।

20. वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 अजीत प्रताप सिंह ने अपने बयान में तहरीर/फर्द बरामदगी के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि दिनांक 26.06.2018 को मैं यूनिट उपनिरीक्षक दीपक कुमार सिंह व हमराहीयान हे0कां0 मनोज कुमार सिंह, कां0 राममोहन दूबे, कां0 रामबहादुर दूबे और कां0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह के देखभाल क्षेत्र वाहन चेकिंग में मामूर था। मुखबिर की सूचना पर रामनगर कडजहाँ ओवर ब्रिज के पास ट्रक में ही गोवंशीय पशु से लदे ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रक ड्राइवर व ट्रक में बैठे अन्य व्यक्तियों द्वारा चिलाते हुए कहा गया कि मार दो पुलिस वालों को व जान मारने की नियत से हम पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पकड़े गये ट्रक में चौदह अलग–अलग नश्ल की गाय व पाँच अदद नवजात बछड़े व बछियां, जिनके हाथ, मुँह, नथी, जो प्लास्टिक का या उससे बाँधा गया था, जिनको मौके पर खुलवाया गया तो गोवंशीय पशु उस कदर हाँफ रहे थे। पकड़े गए कमलेश यादव व पवन यादव व वजेन्द्र यादव निवासीगण घिनी ग्राम झंगहा जनपद गोरखपुर को द्वारा लगभग 12.45 उनके जुर्म को बताते हुए हिरासत पुलिस ने बरामदशुदा गोवंशीय पशुओं व ट्रक को नियमानुसार कब्जा पुलिस ने लिया फर्द मौके पर पर्याप्त रोशनी लिखकर, पढ़कर सभी मुल्जिमों का हस्ताक्ष बनवाया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि जिस रस्सी से पशु बंधे थे उसे थाने पर नहीं लाया गया था एवं मौके पर फेंक दिया था। पकड़े गये ट्रक को अन्य व्यक्ति/चालक को बुलवाकर थाने पर लाया गया था। किन्तु उक्त व्यक्ति/चालक के फर्द पर हस्ताक्षर नहीं बनवाया गया था। थाने पर लाये गये मुल्जिमानों की तलाशी मेरे सामने नहीं हुयी थी। विवेचक को मैंने ट्रक को थाने लाने वाले चालक/व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। ट्रक चालक से मेरी बातचीत नहीं हुयी थी उसे बुलाने पर वह आ गया था। जहां ट्रक छोड़कर भागे वहां नाला है, कोई गांव घर है या नहीं मैं नहीं बता सकता। वह नदी या नाला किस दिशा से घूम कर गया है मुझे याद नहीं है नाला किस तरफ से आया है और किस तरफ को गया है उस दिशा का मुझे ध्यान नहीं है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि मुझे ध्यान नहीं है कि विवेचक ने नक्शानजरी मेरी निशानदेही पर बनाया था या किसी अन्य के निशानदेही पर बनाया था। मुल्जिमानों के पकड़े जाने पर ली गयी उनकी तलाशी से उनके पास से कोई रूपया बरामद किया था या नहीं, याद नहीं है। मेरे पास नापने के लिए कोई औजार नहीं था। मैंने गायों की उंचाई अंदाज से लिखवा दिया था।

21. साक्षी पी0डब्लू0–2 हे0कां0 रमेश प्रताप पाण्डेय जो कि वादी उपनिरीक्षक अजीत प्रताप सिंह द्वारा दी गयी फर्द बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0–540/2018 समय 12.53 बजे विरूद्ध अभियुक्तगण कमलेश यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, दवन यादव पुत्र हीरालाल यादव निवीसीगण मुन्डी थाना झंगहा जिला गोरखपुर थाना 307भा0दं0सं0 व धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोलकर टाइप कराया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बरामदशुदा गाय व बछड़ों को मैंने देखा था।

22. साक्षी पी0डब्लू0–3 सुरेन्दराम जो इस मुकदमें के विवेचक हैं उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरे द्वारा पर्चा सं0–2 लगायत पर्चा नं0–06 किता किया गया है। इस साक्षी ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि फर्द में सिर्फ पुलिस के लोग ही गवाह हैं जनता का कोई गवाह नहीं बनाया गया है। किसी भी कर्मचारी का मेडिकल नहीं कराया गया है और न ही किसी ने मुझे यह था उनको चोटें आयी हैं। नक्शा नजरी में पुलिस वालों के खड़ा होने का स्थान दर्शित नहीं किया है। मुल्जिमानों को किस स्थान से गिरफतार किया गया वादी ने नक्शा नजरी बनाते समय मुझे नहीं बताया, न ही वह स्थान दिखाया था।

23. पी0डब्लू0–01 अजीत प्रताप सिंह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कुल 14 अदद गोवंशीय पशु बरामद होने के कथन का साक्ष्य दिया है। गोवंशीय पशुओं के मुँह प्लास्टिक की रस्सी से बांधे गए थे, किन्तु वादी द्वारा प्लास्टिक की रस्सी की बरामदगी नहीं की गयी है एवं प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि जिस रस्सी से बाँधा था उसको थाने पर नहीं लाया गया और उसे मौके पर ही फेंक दिया गया। घटना स्थल से बरामद ट्रक को एक किसी दूसरे व्यक्ति/चालक की व्यवस्था कर थाने पर लाया गया, किन्तु उसका नाम मुझे नहीं मालूम है। जनता के कोई साक्षी के हस्ताक्षर फर्द में नहीं है। थाने पर लाए गए मुल्जिमों की तलाशी मेरे सामने नहीं हुई थी। फर्द की कॉपी मुल्जिमानों की दी गयी थी। जहाँ पर पुल संकरा है वहाँ से 30–40 फीट दूर ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया था। मुझे ध्यान नहीं है कि नक्शा–नजरी मेरी निशानदेही पर बनी थी या किसी अन्य की निशानदेही पर बनी थी। घटना गोरखपुर से देवरिया जाने वाले सड़क पर घटित हुई थी। मुल्जिमानों के पकड़े जाने पर ली गयी उनकी तलाशी से उनके पास से मेरे सामने बरामद किया था या नहीं मुझे याद नहीं है। मैंने गायों की ऊँचाई अंदाज से लिखा है। मुल्जिमान द्वारा बताया गया कि इसकी खरीद फरोक्त बिहार ले जाकर कसाईयों को बेचते हैं। घटना रात्रि की है मुझे यह याद नहीं है कि कितने बजे की घटना है। पी0डब्लू0–02 रमेश प्रताप पाण्डेय चिक लेखक उनके द्वारा वादी अजीत प्रताप सिंह की फर्द बरामदगी के आधार चिक एफ0आई0आर0 पर प्रदर्श क–02 को किता किया गया है और चिक कायमी रपट नं0–03 दिनांक 27.06.2018 को प्रदर्श क–03 तैयार किया गया है, जिसे साबित किया गया है।

24. पी0डब्लू0–03 सुरेन्दराम जो इस अभियोग के विवेचक हैं उन्होंने अपने द्वारा आरोपपत्र प्रदर्श क–04 साबित किया है। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि इस मुकदमे में पुलिस के लोग ही गवाह हैं फर्द में कोई जनता का गवाह नहीं है। किसी गवाह ने यह नहीं बताया कि मुझे इस घटना में कोई खरोच आयी थी। यह स्थान गोरखपुर से देवरिया मार्ग पर है। नक्शानजरी से Four lane किसी स्थान पर पुलिस को खड़ा होने का स्थान नहीं दिखाया गया है। मुल्जिमानों को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया वादी मुकदमा ने नक्शानजरी बनाते हुए समय मुझे नहीं बताया। मैंने किसी बरामद पशु को किसी स्थान पर किसी को सुपुर्दगी नहीं दिया। मैंने कोई बरामद पशुओं को पुलिस ने नहीं बरामद किया था बल्कि गलत तौर पर फर्द बरामद पशुओं को दिखाया गया है। यह कहना गलत है कि मैं पुलिस

अधिकारी होने के नाते दबाव में गलत आरोपपत्र लगा दिया है। इस प्रकार घटना फर्द बरामगदी को साबित करने के लिए मात्र साक्षी उ0नि0 अजीत प्रताप सिंह को ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं वादी उ0नि0 अजीत प्रताप सिंह के अतिरिक्त उनके किसी हमराहीयान को अभियुक्तगण की गिरफ्तारी और पशुओं को बरामदगी साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है एवं कोई घटना का जनता का गवाह नहीं बताया गया। वादी मुकदमा द्वारा अपनी फर्द को घटनास्थल पर तैयार करते समय किसी भी लोक साक्षी को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाना दर्शित नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा जनता का साक्ष्य लेने का प्रयास किया गया, किन्तु घटना के समय कोई जनता का साक्षी उपलब्ध था या नहीं का भी कोई लेख नहीं किया गया है, इसलिए पुलिस उ0नि0 अजीत प्रताप सिंह के द्वारा घटना स्थल पर तैयार की गयी फर्द बरामदगी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त मुकदमा वादी द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद पशुओं को घटनास्थल पर ही राजनाथ यादव की सुपुर्दगी में देने का कथन किया है एवं पशुओं की सुपुर्दगीनामा कागज सं0–9क/7 में राजनाथ यादव को दिनांक 27.06.2018 को 14 अदद गोवंशीय पशु, 05 अदद बछिया देने का सुपुर्दगीनामा तैयार किया है एवं बचाव पक्ष द्वारा राजनाथ यादव को अपने पक्ष में डी0डब्लू0–01 के रूप में परिक्षीत कराया गया, जिसमें राजनाथ यादव के द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 27.06.2018 समय लगभग 10बजे को थाने पर पुलिस के दरोगा ने मुझसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया, जानकारी हुआ कि पुलिस मुझे 14 अदद गोवंशीय पशु व 05 अदद बछिया मुझे सुपुर्दगी में देने की बात कही है, जो गलत है। मुझे कोई गाय व बछिया सुपुर्द नहीं किया गया था। मेरा गाँव थाना खोराबार से 40 किमी दूर कछार एरिया में है। इस प्रकार पुलिस की कार्यवाही का समर्थन पुलिस के साक्षी द्वारा ही नहीं किया गया है, बल्कि पुलिस द्वारा सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का साक्ष्य न्यायालय में आकर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों को समेकित रूप से विचार में लेने का अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से 19 अदद पशुओं की बरामदगी साबित होना भी संदेहास्पद हो जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति को पुलिस द्वारा बरामद पशुओं में सुपुर्दगी देना कहा है उसी ने सुपुर्दगी में किसी भी पशु को प्राप्त करने से इंकार किया है, जिससे यह संचय उत्पन्न होता है कि अभियुक्त के कब्जे से बरामद पशुओं का निस्तारण पुलिस द्वारा कैसे किया गया। इस कारण भी पुलिस की बरामदगी संदेहास्पद होने के कारण विश्वास योग्य नहीं है इसलिए बरामदगी ही संदेहापूर्ण होने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप पत्र धारा 11 पशु क्रूरता अधि0, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 का आरोप भी साबित नहीं होता है।

25. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307 भा0दं0संहिता के अतर्गत भी आरोप विरचित किया गया है, किन्तु इस संबंध में पुलिस उ0नि0 पी0डब्लू0–01 अजीत प्रताप सिंह ने अपने बयान में कहा है कि जब अभियुक्तगण के ट्रक सं0–यू0पी53सी0टी06550 आती देखी तो पुलिस वालों ने रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण अंदर से चिल्लाए कि सामने पुलिस हैं कुचल दो, जिससे पुलिस वालों ने किनारे हटकर अपनी जान बचायी, किन्तु इस संबंध में

पुलिस द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त घटना के समय वाहन चालक के द्वारा बीच सड़क पर किस पटरी पर अभियुक्तगण को कुचलने का प्रयास किया था। आदि का कोई उल्लेख नहीं है इसलिए मात्र मुकदमा वादी द्वारा फर्द बरामगदी में यह कथन अंकित करने से ही अभियुक्तगण द्वारा कुचलने का प्रयास किया था से अभियुक्तगण के विरूद्ध हत्या के प्रयास का भी आरोप साबित नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लाए गए आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण कमलेश यादव, दवन यादव व राजेन्द्र यादव को धारा 307 भा0द0संहिता, 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम,1960 के अपराध से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं एवं प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण एक सप्ताह के अन्तर्गत धारा 437ए के अनुपालन में मु0 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू को अविलम्ब न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल किये गये व्यक्तिगत बन्ध पत्र व जमानतनामें 06 माह की अवधि के लिए वैध रहेंगे तथा उसके उपरान्त स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

दिनांक–12.06.2026 **(चन्द्र मणि मिश्र)**
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–02, गैंगेस्टर एक्ट, गोरखपुर।
J.O. No.–UP6250

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–12.06.2026 **(चन्द्र मणि मिश्र)**
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–02, गैंगेस्टर एक्ट, गोरखपुर।
J.O. No.–UP6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.06.12 15:35:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court